(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	मोहम्मदपुरा	388	3.240	प्रस्तावित आवासीय तथा 45.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग.	प्रस्तावित औद्योगिक (पावरलम कलस्टर) एवं 45.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग.
3	मोहम्मदपुरा	390	1.900	प्रस्तावित आवासीय तथा 45.00 मीटर एवं 30 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग.	प्रस्तावित औद्योगिक (पावरलम कलस्टर) एवं 45.00 मीटर तथा 30 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग.

योग . . 7.500 हेक्टेयर

उपरोक्त उपांतरण बुरहानपुर विकास योजना, 2021 को एकीकृत भाग होगा.

सूचना

क्र. एफ-3-92-2021-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 सहपठित धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्र. 3195-वि.यो.-496-नग्रानि-2020, भोपाल, दिनांक 24 अगस्त 2020 द्वारा प्रकाशित बड़वानी विकास योजना 2015 में उपांतरण हेतु सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार बड़वानी निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2015 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 (1) में अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात्:—

1. आयुक्त, इंदौर, संभाग इंदौर, मध्यप्रदेश
2. कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश
3. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय खरगोन, मध्यप्रदेश
4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, बड़वानी, मध्यप्रदेश.

अनुसूची

क्र.	विकास योजना (नगर का नाम)	विकास योजना में भूमि में उपयोग	अध्याय	विकास योजना की सारणी	सारणी कॉलम का सरल क्रमांक	उपांतरण प्रस्ताव कॉलम क्रमांक (5) एवं कॉलम क्रमांक (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	बड़वानी विकास योजना 2015.	सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक.	6	6-सा-14	4	सूचना प्रौद्योगिकी* एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		कृषि	6	6-सा-14	7	सूचना प्रौद्योगिकी*, गैर प्रदूषणकारी उद्योग** कृषि पर्यटन सुविधा *** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे.

व्याख्या—

i *सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है, मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें.

ii **गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है, मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग.

iii ***कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है, मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 17(क) में वर्णित अनुसार.

टीप:—उपरोक्त i एवं ii के भूखण्ड हेतु पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी.

विकास योजना में किया गया उपांतरण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा.

भोपाल, दिनांक 28 सितम्बर 2021

शुद्धि-पत्र

क्र. एफ-3-40-2021-अठारह-5.—राज्य शासन, एतद्द्वारा नगरीय विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-3-40-2021-अठारह-5, दिनांक 6 मार्च 2021 द्वारा की पूर्व में गठित इन्दौर निवेश क्षेत्र में नवीन 78 ग्रामों को सम्मिलित करते हुए इन्दौर निवेश क्षेत्र की संशोधित सीमाएं परिनिश्चित की गई थी जबकि उक्त संशोधित सीमा में 79 नवीन ग्राम सम्मिलित हैं.

2. अत: त्रुटि सुधार उपरान्त इन्दौर की निवेश क्षेत्र की संशोधित सीमा परिनिश्चित की जाने संबंधी अधिसूचना में ''नवीन 78 ग्राम'' के स्थान पर ''नवीन 79 ग्राम'' पढ़ा जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.